एपीवाई नागरिक घोषणापत्र
इस बैंक-शाखा द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्धता

I. नया एपीवाई खाता खोलना

- 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी संभावित एपीवाई अभिदाताओं को एपीवाई के लाभ और सुविधाओं के बारे में बताना ।
- संभावित एपीवाई अभिदाताओं को नामांकन के लिए एपीवाई अभिदाता पंजीकरण फॉर्म प्रदान करना
- एपीवाई खाता खोलते समय अभिदाताओं को पावती रसीद और अभिदाता सूचना विवरणिका की जानकारी उपलब्ध कराना।
- एपीवाई खाता खोलने के बाद ई-प्रान कार्ड प्रदान करना।
- मौजूदा अभिदाताओं (जीवनसाथी और बच्चों) के पात्र परिवार के सदस्यों को एपीवाई के लाभ और सुविधाओं के बारे में बताना और उन्हें एपीवाई खाते खोलने की सुविधा प्रदान करना।
- अभिदाताओं को अपने बचत बैंक खाते में ऑटो-डेबिट की चयनित आवृत्ति के अनुसार अंशदान राशि के समान राशि बनाए रखने के लिए सूचित करना।

II. संचयी चरण के तहत सेवाएँ

- एपीवाई अभिदाता के अनुरोध पर खातों का विवरण प्रदान करना ।
- निम्नलिखित परिवर्तनो से सम्बंधित एपीवाई अभिदाता संशोधन प्रपत्र प्रदान करना

(i) नामिति / पति या पत्नी के विवरण में परिवर्तन / सुधार।

(ii) आवृत्ति में परिवर्तन / सुधार।

(iii) जन्मतिथि में परिवर्तन / सुधार।

(iv) पेंशन राशि को बढ़ाना/ घटाना

(v) बैंक / एपीवाई सेवा प्रदाता का परिवर्तन।

- एपीवाई खाते में बैंक खाते के वर्तमान विवरण को अपडेट करना ।
- पेंशन राशि के उन्नयन के मामले में अतिदेय एकमुश्त राशि की गणना में और अवनयन के मामले में बचत खातों में प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि की गणना में सहायता प्रदान करना ।
- एपीवाई खाते की निरंतरता के महत्व के विषय में एपीवाई सदस्यों को सूचित करना और अनियमित एपीवाई खातों के मामले में अतिदेय राशि और विलंब शुल्क की गणना में सहायता प्रदान करना ।
- निर्धारित समयसीमा के भीतर अभिदाता की शिकायत का समाधान सुनिश्चित करना ।

III. एपीवाई के तहत निकास

- एपीवाई के तहत स्वैच्छिक निकास के लिए फार्म प्रदान करना ।
- मौजूदा एपीवाई अभिदाताओं की मृत्यु के मामले में, एपीवाई के तहत खाता जारी रखने के लिए / बंद करने का फॉर्म (मृत्यु के मामले में) पति / पत्नी को प्रदान करना ।
- एपीवाई अभिदाताओं को एक बार एपीवाई राशि के खाते में जमा कर दिए जाने के बाद बचत बैंक खाते को बंद करने के विषय में सूचित करना ।

IV. एनपीएस स्वावलंबन और एपीवाई

- मौजूदा एनपीएस लाइट- स्वावलंबन अभिदाता, जो वर्तमान में 18-40 वर्ष के बीच हैं, को अटल पेंशन योजना में पंजीकृत करने सम्बंधित सूचना प्रदान करना ।
- योग्य अभिदाताओं से प्राप्त अनुरोध के आधार पर जमा राशि सहित एनपीएस लाइट- स्वावलंबन से एपीवाई में पंजीकृत करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना ।

V.एपीवाई एप, इसके डाउनलोड और लाभ पर सूचना

- एनएसडीएल के एपीवाई एप के विशेषताओं और लाभो और प्ले स्टोर पर इसकी उपलब्धता की जानकारी देना ।

VI.संपर्क विवरण

- एपीवाई की शिकायतों को उठाने के लिए : www.npscra.nsdl.co.in >> Home >>select : एनपीएस लाइट
- पीएफआरडीए का एपीवाई हेल्पडेस्क (टोल फ्री) : 1800 110 069
- पीएफआरडीए वेबसाइट; www.pfrda.org.in